दिनांक 24.04.2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

कोरोना वायरस के तहत नियमों की अवहेलना करने वाले 381 लोगों पर 95730 रुपए जुर्माना

भिलाईनगर/ कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु आज तीसरे दिन भी भिलाई निगम प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन कर रहे नागरिकों पर अर्थदंड की कार्यवाही किए। निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने , सार्वजनिक स्थानों में फेस कवर नहीं करने तथा दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों में अधिक सवारी होने तथा अनावश्यक घरों से बाहर घूमते पाये जाने पर कार्यवाही करते हुए 301 लोगों से 95730 रुपए अर्थदंड की वसूली की गई। निगम प्रशासन आम नागरिकों से अपील करता है कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अथवा अन्य कोई उपाय जिससे चेहरा ढक जाए का उपयोग करें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नगर पालिक निगम , भिलाई क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु हर व्यक्ति को घर के बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही करने निगम की टीम निगम क्षेत्र के चौक चौराहा जहां पर अधिक से अधिक लोगों को आवागमन होता है ऐसे स्थानों पर निगम की टीम सुबह से कार्यवाही करने तैनात थे। बिना मास्क लगाए घूमने , सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन पाए जाने पर अर्थदंड की कार्यवाही किए। उड़नदस्ता की टीम ने दुकानों का निरीक्षण कर बिना मास्क लगाए दुकानदार व ग्राहक पर चालानी कार्यवाही किए। जोन क्रं. 01 नेहरू नगर क्षेत्र में 43 लोगों से 7650, जोन क्रं. 02 वैशालीनगर में 140 लोगों से 67180, जोन क्रं. 03 मदरटेरेसा नगर क्षेत्र में 41 लोगों से 7400, जोन क्रं. 04 शिवाजी नगर क्षेत्र में 33 लोगों से 4750 एवं जोन क्रं. 05 सेक्टर एरिया में 08 लोगों से 1600 एवं मुख्य कार्यालय से उड़नदस्ता की टीम ने 36 लोगों से 7150 रूपए अर्थदंड वसूल किए।

जनसम्पर्क अधिकारी